

राजस्थान सरकार




सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 207/६८४/२०१-२२

यह प्रमाणित किया जाता है कि ही पितर
शिशों रास्ता
डिलाई कला जिला जोधपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज
किया गया।

यह प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक २५/११/६८ माह नवम्बर सन् २०६८
को जोधपुर में दिया गया।



रजिस्ट्रार, संस्थान
रजिस्ट्रीकरण
जोधपुर

जायकल्य रघुनाथ। संतप्त। बोधपुर

क्रमांक का.। १२. सं. पंचीयन क्रमांक: २०७

दिनांक: २५/८/१९४९

उपलब्ध/सक्षिप्त,

— श्री) पिल्लु शिक्षण उत्कल
— विद्यालय कल्पना

विषय - राजस्थान संतप्त पंचीयन अधिनियम १९५८ के
अन्तर्गत संतप्त के रघुनाथ कल्पना के ग्रन्थालय में।

उपकी संतप्त का रघुनाथ प्रमाण पत्र क्रमांक २०७/विद्यालय
दिनांक २५/८/१९४९ पत्र के साथ संलग्न कर लिखाया जाएगा है।

पठा आपका प्यान उपका अधिनियम जी दारा ५,५१ का ही और
अधिनियम जिस वाला है, जिसे प्रावधानों के अनुसार आपको प्रति वर्ष आग तभा के १५
प्रत्येक विद्यालय के अन्दर-अन्दर नियमित रूपना विद्यालय आधिकारक है:-

११। संतप्तों के मास्तों का प्रबन्ध जिस जो संतोंपा गया है, उस परिधि, समिति या अन्य
गाड़ी नियाय के भागों, तथात्वों, च्याक्षियों या सदस्यों के नाम, पते और उनके
पेशे ही शुपना, म्य उनके पट के।

१२। एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि इस वर्ष जिस वर्ष के टोरान
परिवर्तनों के दर्शाया जाएगा।

१३। संतप्त के नेपमों विनियमों जी एक प्रति वारिता जहाँ उत्तिलियी जो भाड़ी नियाय
के भागों, तथात्वों, च्याक्षियों या सदस्यों में से कम से छम तीन के द्वारा प्रमाणित
ही गई है।

इष्ठे ज्ञाया संतप्त के नियमों व विनियमों में लिये गए परिवर्तन जी
प्रतिलियी जो उपरोक्त वर्गित रौति से तहीं प्रमाणित ही गई हो। इता परिवर्तन वर्तने
के द्वारा जो १५ विद्या जी उपरोक्त में इस जायकल्य में पहुँच जानी याहिर। आपका
प्यान उपका अधिनियम जी दारा ५,५१ की और भी आकृष्टित जिस वाला है, जिसमें
अनुसार प्रावधानों जी वालना में विषय रहने जाता अराधा के तिक्क होने पर ऐसे
ज्य लड़ ते लड़नीय होगा जो शांत तो स्थिर तक जो टोक्केगा तथा तचातार मंग होने
ही द्वारा में और ऐसे ज्य लड़ ते लड़िक्के होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें विक
अराधा के लिए पुर्णमं अराधा के तिक्क के परामात् रुक्क वारी रहती हैं तो पचात स्थिरे
ते अधिक नहीं द्वारा। एक जो ज्य लड़िक्के द्वारा ५ के अधीन प्रत्युत ही गई शुपना में
ए पारा ५,५१ के अधीन १५ विवरण पत्र या विनियमों जी व
विनियमों, उद्देश्यों में जानकार जो है जिस प्रतिविट या टोक्के जराम हैं तो उन्होंने
होगा। अराधा लिद ठोक्काने पर ऐसा व्यक्ति दो हजार स्थिरे तक जी राशि से लड़िक्के
टोक्केगा। उद्देश्य परिवर्तन जी शुपना इस जायकल्य की अवाय मिलते हैं। इस जायकल्य में
विषय में किंतु प्रकार का पत्र व्यवठार करते समय संतप्त का वंचीयन क्रमांक व वर्ष
अराधा अंकित करें।

रघुनाथ। संतप्त।
बोधपुर